दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

2961

पत्रांक : 2361 /05/76/एक/2016–17 दिनांक : 16 अगस्त 2016

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद–सम्भल।

विषय : **वित्तीय वर्ष 2016–17 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।**

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या–37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:–

धनराशि का प्रेषण (लाख रू0 में)			
बैंक का नाम	**खाता संख्या**	**आईएफएससी कोड**	**धनराशि**
इलाहाबाद बैंक	50086598202	IFSC Code ALLA0210565	188.189

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	सम्भल	**अल्पसंख्यक–37 बजट**	न0पा0प0 सम्भल	मौ0 शाहजीपुरा मे टयूबवेल से भूरा के मकान तक, रामफल से जगन्नाथ तक, रामेश्वर से मुन्नू तक, अमर सिंह से ओमप्रकाश तक, राधेश्याम से अनिल के प्लाट तक, नानक चन्द्र से अशोक तक, रामप्रकाश से प्रताप तक, हरकेश के प्लाट से मोहन तक, चक्की से ओमप्रकाश तक, राकेश से राजेन्द्र तक, रमेश से ओमप्रकाश तक, डॉ0 जगदीश कश्यप से निर्दोष आढ़ती तक, छत्रपाल से मुन्ना तक, मुस्तफा मस्जिद से आसकीन तक, मरगूब के प्लाट से खदीजा मस्जिद तक, इन्तजार से उस्मान तक एवं इरफान शीट वालों से मोबीन तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	26.566
2	सम्भल	**अल्पसंख्यक–37 बजट**	न0पा0प0 सम्भल	मौ0 हयातनगर पूर्वी वार्ड सं0 03 मे हरिओम की दुकान के बराबर वाली गली, अजमल की दुकान से महेन्द्र तक, युसूफ से नासिर तक, बाबूराम से रामौतार तक, युसूफ खॉ की दुकान के बराबर वाली गली, अफसर से अफरोज तक, चरन सिंह से रामबाबू तक, छदम्मी लाल से बराबर वाली गली, खेमपाल से लाल खॉ तक, जबर सिंह से खेमपाल तक, किशनपाल से नन्दकिशोर तक, मास्टर रामप्रसाद से हेतराम तक, धर्मेश से नरदेव तक, अच्छन से छोटे तक, अतर सिंह से गंगासरन तक, अम्बरीश से रामेश्वर तक, सतीस से नरेश तक, गनपत से राजकुमार से होते हुये मन्दिर तक, होरीलाल से नरोत्तम तक, वार्ड नं0 03 में मो हयातनगर (पूर्वी) में हरिओम की दुकार के बराबर वाली गली में कब्रिस्तान से राजीव तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	25.419

दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

296/2

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक / मलिन	निकाय का नाम	बस्ती / वार्ड का नाम	द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
3	सम्भल	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 सम्भल	मौ0 बरखेरियान वार्ड सं0 07 मे हाजी याकूब से रियाज तक, असलम भाई से महबूब भाई तक, हाजी वारिस से गुलजार तक, हाजी जाबिर से अब्दुल करीम तक, रईस से शमी तक, मुकीम से अकील तक, असलम के कारखाने से मौ0 मियाँ तक, पोल्ट्री फार्म से शफीक एवं इश्तकार तक, हाजी रफीक से शफीक तक, हनीफ भाई से लईक तक, हाजी सलाम से मुस्तफा तक, हनीफ से यूसुफ तक, हनीफ भाई की दुकान से साबिर तक, मौ0 अफसर से शफीक मिस्त्री तक, शमी के कारखाने के बराबर वाली गली एवं भूरा से फूलबाग वाली मस्जिद तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	24.809
4	सम्भल	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 सम्भल	मौ0 हयातनगर (पश्चिम) में खानचन्द्र से माजिद के प्लाट तक, इसरार से शमीम तक, रियासत से राशिद तक, सलीम से मौ0 तसलीम तक, रमेश से ट्यूबेल की गूल तक, चरन सिंह से कृपाल तक, खेमचन्द्र के प्लाट से ट्यूबवेल की गूल तक, साबिर से नेतराम तक, पप्पू सैनी की दुाकन के बराबर वाली गली, सैनी ट्रांसपोर्ट के बराबर वाली गली सुनील के मकान तक, कर्बला / दादा रहीमउल्ला शाह की ज्यारत से मा0 रफत के मकान तक, मैढ़ू खाँ की मस्जिद से कब्रिस्तान तक, कब्रिस्तान के बराबर से चन्द्रपाल के मकान तक आदि गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	47.319
5	सम्भल	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 सम्भल	मौ0 नवादा वार्ड सं0 30 मे कमरूददीन से शाहनवाज तक, फिरोज दरोगा से मौ0 उमर तक, शमीम की दुकान से अब्दुल मजीद के प्लाट तक, अबरार से मुल्ला रशीद तक, आफताब से पप्पू तक, शमशाद से अब्दुल हमीद तक, हाजी अजीज से मुनव्वर तक, यादराम के मकान से रमेश के मकान तक, शाकिर से जरीना बेगम तक, हाजी अजीज से छोटे तक, छिद्दा से मास्टर सलाम तक, मदरसा इस्लामी के बराबर वाली गली, शमीउल्ला से हाजी अजीज तक, याकूब से मदरसे के पिछले दरवाजे तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	30.348
6	सम्भल	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 सम्भल	मौ0 झज्जरान वार्ड सं0 32 मे खालिद के प्लाट से हबीब तक, रईस के मकान से सफरूददीन के मकान तक, अकबर अली के मकान से बाबू के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	15.049
7	सम्भल	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 सम्भल	मौ0 भूडा वार्ड सं0 33 में आरिफ से रईस तक, अनीस से मुख्तयार तक, खलील से रशीद तक, अबरार के कारखाने के बराबर वाली गली, हाजी युसूफ से राव वाली मस्जिद तक, वाकिर हुसैन से मौ0 असलम तक एवं राव वाली मस्जिद से हाफिज इकराम के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	18.679
	योग				188.189

दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 'SUDA'

296/13

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:–

1– उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

2– स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

3– प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।

4– अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नही की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्वित करें।

5– स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

6– प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।

7– परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख–रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

8– योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016–17 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नही प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

9– उक्त धनराशि सूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

10– प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

11– अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यो में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्ति करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

12– **शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त परियोजनाओं में सेन्टेज के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि अभिकरण पर नही रोकी गयी है।**

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

<u>पत्रांक एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. परियोजना अधिकारी, सूडा।।
3. अधि0 अभियन्ता–सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग–सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक